


FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कन्हैयालाल बनाम क. 102

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 75/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   |
|-------------|--|
| 27-2-25     | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कन्हैयालाल</u></p> <p>पिता श्री <u>सुवाना बलारि</u></p> <p>निवासी- <u>सोनगर</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम <u>बिसरीपुरी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....<br/><u>233, 234, 235, 247, 250, 252</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> कुल रकबा <u>2.45</u> है० की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बिसरीपुरी (प.ए.धोडा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>233, 234, 235, 247, 250, 252</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> रकबा <u>2.45</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रुपये अक्षर <u>दो हजार</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> <b>(वी.नि.सिन्हा)</b><br/> <b>जिला जज</b><br/> <b>उपखण्ड अधिकारी</b><br/> <b>चित्तौड़गढ़ (राज.)</b> </p> |